वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2018-19

77 FOUNDATION DAY

Another Inning of Championship Performance

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce

विषय सूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO Speech	1-4
निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	5-6
सूचना Notice	7-20
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	21-25
अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	26-29
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	30-50
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन – मार्च, 2019 Pillar III Disclosures under Basel III - March, 2019	51-94
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	95-135
कारोबार दायित्वता रिपोर्ट Business Responsibility Report	136-151
तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	152-153
लेखा टिप्पणियां 1–18 Schedules 1-18	154-206
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	207-213
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	214-215
फॉर्म Forms	

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
MANAGING DIRECTOR & CEO SPEECH

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

इससे पूर्व कि मैं बैंक के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करूं, मैं आपके समक्ष उस व्यापक आर्थिक परिवेश की चर्चा करना चाहूंगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके बैंक ने कार्य-निष्पादन किया है ।

आर्थिक पृष्ठभूमि

वित्तीय वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 5.8% थी, जो कि पिछली तिमाही की वृद्धि 6.6% से कम रही । वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के 6.3% की तुलना में जनवरी - मार्च 2019 अवधि में सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि ठीक रही जबकि कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में काफी गिरावट दर्ज की गई।

छिटपुट वर्षा के मौसम एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कृषि वृद्धि में पूरे वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान सतत् गिरावट दर्ज की गई, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 5.1% की वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में 0.1% का संकुचन दर्ज किया गया। अतः, कृषि क्षेत्र में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018 के 5.0% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 2.9% दर्ज की गई। इसके साथ ही, इस मौसम में मानसून स्थितियों पर निर्भरता एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नई पहलों के कारण, आगामी वित्तीय वर्ष में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की आशा है।

उद्योग क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के 6.0% की तुलना में विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों में गिरावट के कारण वित्तीय वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्यतः वित्तीय एवं रियल एस्टेट क्षेत्र (तीसरी तिमाही के 7.2% की तुलना में चौथी तिमाही में 9.5%) के साथ-साथ सरकारी संबंधी सेवाओं (तीसरी तिमाही में 7.5% की तुलना में चौथी तिमाही में 10.7%) के कारण, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2018 में 7.8% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 7.7% के साथ समग्र रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि स्थिर रही।

मार्च, 2019 के लिए 2.86% की तुलना में अप्रैल 2019 के लिए भारत में ग्राहक मूल्य-आधारित कीमत-स्फीति 2.92% रही। कोर सीपीआई मार्च 2019 के 4.99% से मंदी के साथ अप्रैल 2019 में 4.54% रही। प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में अनुकूल आधार के कारण वृद्धि के रुझान के बावजूद थोक मूल्य स्फीति (डब्ल्यूपीआई) मार्च,2019 के 3.18% की तुलना में अप्रैल 2019 में 3.07% रही।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 25th Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the year ended 31st March 2019.

Before I present the performance highlights of the Bank, I would like to place before you the general macroeconomic environment within which your Bank has performed in FY18-19.

ECONOMY AT A GLANCE

India's GDP growth stood at 5.8% for Q4 FY19, lower than the 6.6% growth witnessed in the previous quarter. Gross Value Addition (GVA) has shown a growth of 5.7% in the Jan-Mar 2019 period compared to 6.3% in Q3 FY19. While growth in the services sector remained comfortable, agriculture and industry witnessed a significant slowdown.

Scattered rainfall conditions and slowdown in the rural economy led farm growth to witness a steady decline over the course of FY19, falling from a growth of 5.1% in Q1 FY19 to a contraction of 0.1% in Q4 FY19. As such, agriculture sector growth stood at 2.9% in FY19 as compared to 5.0% in FY18. Going forward, dependent upon monsoon conditions this season and initiatives to revive the rural economy, agriculture sector is expected to be a crucial growth driver in the incoming fiscal.

Growth in Industry stood at 3.4% in Q4 FY19 compared to 6.0% in Q3 FY19 led by a slowdown in manufacturing and electricity sectors.

In the Services sector, growth was led by Financial and Real-estate sector (9.5% in Q4 vis-à-vis 7.2% in Q3) as well as government related services (10.7% in Q4 vis-à-vis 7.5% in Q3). Overall, service sector growth remained steady at 7.7% in FY19 compared to 7.8% in FY18.

India's Consumer Price-based inflation for April 2019 stood at 2.92% compared to 2.86% for March 2019. Core CPI decelerated to 4.54% in April 2019 from 4.99% in March 2019. Wholesale Price inflation (WPI) stood at 3.07% for Apr-19 compared to 3.18% in Mar-19 despite significant upside momentum in the prices of primary articles due to a favourable base.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात जो मार्च 2018 में 11.5% था, सितम्बर, 2018 में कम होकर 10.8% हो जाने के कारण, आस्ति गुणवत्ता ने सुधार दर्शाया। इस अवधि में इनकी निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में भी कमी दर्ज की गई।

अब मैं, आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक के कारोबार की विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहूंगा:-

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- कारोबार मिश्र मार्च 2018 के रु.3.55 लाख करोड़ की तुलना में मार्च 2019 में रु.4.04 लाख करोड़ रहा । कुल जमाराशियां तथा अग्रिम क्रमशः रु.2.32 लाख करोड़ एवं रु. 1.71 लाख करोड़ रहे । कासा जमाराशियां मार्च 2018 के रु.65,697 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में रु.68,387 करोड़ हो गईं।
- बैंक ने सितम्बर, 2018 में वापसी करते हुए तिमाही लाभ दर्शाया और तब से लगातार तीन तिमाहियों में निवल लाभ दर्शाया है। बैंक ने दो वर्ष तक लगातार हानि प्रदर्शित करने के बाद पुनः वापसी करते हुए वार्षिक लाभ अर्जित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के लिए परिचालन लाभ रु.3754 करोड़ तथा निवल लाभ रु.55 करोड़ रहा। प्रति कर्मचारी कारोबार रु.18.6 करोड़ रहा, प्रति शाखा कारोबार रु.169.12 करोड़ रहा और मार्च, 2019 को बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य रु.100.99 रहा।
- बैंक अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 15.75% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पूंजी की अधिकतम वृद्धि के कारण ऋण जोखिम भारित आस्तियों में 0.96% की वृद्धि हुई। सकल ऋणों की तुलना में ऋण जोखिम भारित आस्तियां, मार्च 2018 के 63% की अपेक्षा मार्च 2019 में गिरावट के साथ 57.59% रहीं, जो बैंक के जोखिम को कम करने की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में 41.62% एवं एमएसएमई अग्रिमों में 12.63% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई जबकि 31 मार्च 2019 को आरएएम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) बैंक के कुल अग्रिम का 54.94% (आईबीपीसी को छोड़कर) दर्ज किए गए।
- डिजीटल बैंकिंग लेनदेन वित्तीय वर्ष 2018 के 63% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 73% हो गए।
- कॉरपोरेट कार्यालय में एक पृथक दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन वर्टिकल बनाया गया है तथा वसूली पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के आदेश के साथ फील्ड में छः महाप्रबंधक तैनात किए गए हैं।
- वसूली पर लगातार दिए जा रहे ध्यान तथा इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018 में रु.3161 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में रु.6597 करोड़ की नकद वसूली तथा अपग्रेडेशन किया, जबकि तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए/ रिकार्डिड ब्याज खातों में वसूली वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु.363 करोड़ की तुलना में रु.1572 करोड़ रही ।
- नई स्लीपेज, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु.12429 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु.7066 करोड़ के साथ 43% कम हुए।
- बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, 31 मार्च, 2018 के 64.07% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 75.84% हो गया । बैंक का सकल एनपीए मार्च 2018 के 17.63% से काफी कम होकर मार्च 2019 को 12.66% हो गया, जबकि निवल एनपीए भी मार्च 2018 के 10.48% से कम होकर मार्च 2019 को 5.93% हो गया ।

Asset quality showed improvement with Scheduled Commercial Banks' gross non-performing assets (GNPA) ratio declining from 11.5% in March 2018 to 10.8% in September 2018. Their net non-performing assets (NNPA) ratio also registered a decline during the period.

Now, I would like to present before you the business highlights of the Bank for the FY18-19:-

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Business Mix as on March-19 stood at Rs. 4.04 lac crore as against Rs. 3.55 lac crore as on March-18. Total Deposits and Advances stood at Rs. 2.32 lac crore and Rs.1.71 lac crore respectively. CASA deposits have increased from Rs 65,697 crore in March-18 to Rs 68,387 crore in March-19.
- Bank bounced back to quarterly profits in September 2018 and has since shown net profits for three consecutive quarters. The Bank has also bounced back to annual profits after 2 years of consecutive annual losses.
- The Operating Profits stood at Rs. 3754 crore and Net Profit stood at Rs. 55 crore for FY 19. Business per Employee was Rs.18.6 crore, Business per Branch was 169.12 crore and Book value per share of the bank was Rs.100.99 as of March 2019.
- Bank advance has increased by 15.75% on y-o-y basis while the Credit Risk Weighted Assets have increased by 0.96% only due to capital optimized growth. The Credit risk weighted assets to gross advance declined to 57.59% in March 2019 compared to 63% in March 2018 reflecting bank's focus on optimizing risk efficiency.
- During FY19, Bank's retail portfolio grew by 41.62% and MSME Advances by 12.63% Y-o-Y while RAM (Retail, Agriculture and MSME) accounted for 54.94% of Bank's total advances as on 31st March 2019 (excluding IBPC).
- Digital Banking Transactions increased from 63% in FY18 to 73% in FY19.
- A separate Stressed Assets Management Vertical has been created at Corporate Office and Six General Managers have been posted in the field with exclusive mandate of focusing on Recovery.
- As a result of the continuous thrust on recovery and various efforts made in the direction, the Bank made cash recovery and upgradation of Rs 6597 crore in FY 19 as against Rs 3161 crore in FY 2018 while recovery in Technically Written Off/Recorded Interest accounts amounted to Rs 1572 crore as against Rs 363 crore in FY 2017-18.
- Flesh Slippages reduced by 43% to Rs 7066 crore during FY 2018-19 as compared to Rs.12429 crore during FY 2017-18.
- Provision Coverage Ratio of the Bank improved to 75.84% as on 31st March 2019 from 64.07% as on 31st March 2018. The Gross NPA of the Bank significantly reduced from 17.63% as on March 2018 to 12.66% as on March 2019 while Net NPA also reduced to 5.93% as at March 2019 from 10.48% as at March 2018.

- बैंक की पूंजी पर्याप्तता, 9.98% टीयर-1 अनुपात के साथ, मार्च 2019 को 12.73% रही।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक को भारत सरकार से दो किश्तों में कुल रु.6686 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई । साथ ही बैंक, ओबीसी-कर्मचारी शेयर क्रय योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर आंबटित करने के माध्यम से रु.250 करोड़ की पूंजी जुटाने में भी सफल रहा ।
- भारत सरकार की शेयरधारिता 31 मार्च, 2018 के 77.23% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 87.58% हो गई ।
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से क्रय विकल्प का प्रयोग करके कुल रु.500.00 करोड़ के 8.75% अपर टीयर II बॉंड्स रिडीम किए ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रमुख विकास

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध, बैंक के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए और पीसीए फ्रेमवर्क के अनुसार न्यूनतम मानदंड स्तर पूरे करने पर 31 जनवरी, 2019 को हटा दिए गए ।
- पीएसबी 59 के माध्यम से एमएसएमई ऋण उपलब्ध कराने के साथ 'नियम आधारित प्रक्रिया' के अंतर्गत मुद्रा ऋणों को डिजिटल रूप से प्रोसेस करना शुरु किया गया ।
- वर्ष के दौरान, बैंक को ब्रांड फाइनेंस द्वारा 500 मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड्स 2018 में से एक, पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला बैंक, एनएसडीएल द्वारा पीएसबी श्रेणी में बैंक डीमेट खातों में दूसरा रनरअप तथा आईबीए तकनीकी अवार्ड में दूसरा रनरअप चुना गया ।
- बैंक ने भारत सरकार के पीएसबी सुधार एजेंडा के ईएएसई इंडैक्स के विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन किया ।

  मार्च 2019 के लिए भारत सरकार के पीएसबी सुधार एजेंडा के ईएएसई इंडैक्स के अनुसार, बैंक मध्यम-आकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान तथा 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चौथे स्थान पर रहा। साथ ही, बैंक को ईएएसई मापदंडों के अंतर्गत 'जिम्मेदार बैंकिंग एवं एमएसएमई हेतु उद्यमी मित्र' के संबंध में अपने प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया ।
- भारत सरकार ने बैंक की वर्टिकल संगठनात्मक संरचना तथा शिकायत निवारण तंत्र की सराहना की और इसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक प्रेरणास्त्रोत माना है।

क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक के छः मानव संसाधन विकास संस्थानों में अत्याधुनिक अधिसंरचना उपलब्ध है जहां केस स्टडी और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सीखने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित प्रबंधन संगठनों यथा इंस्टीटयूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (एनआईबीएम), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट (निब्सकॉम), सदर्न इण्डिया बैंक्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, बेंगलुरु (एसआईबीएसटीसी) में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक में 79843 प्रशिक्षण दिवस पूर्ण किए गए थे ।

- Capital Adequacy of the Bank stood at 12.73% as at March 2019, with Tier-1 Ratio being 9.98%.
- During FY 2018-19, Bank received capital infusion from the Government of India aggregating to Rs.6686 crore in two tranches. Also, the Bank was able to raise capital of Rs.250 crore by way of allotment of shares to employees under OBC-Employee Share Purchase Scheme.
- The shareholding of Government of India increased from 77.23% as on 31st March 2018 to 87.58% as on 31st March 2019.
- During FY 19, the Bank redeemed 8.75% Upper Tier II Bonds aggregating to ₹500.00 Crore upon exercise of Call Option with the prior approval of RBI.

MAJOR DEVELOPMENTS IN FY 19

- The restrictions imposed on the Bank by RBI under the PCA framework were lifted on 31st January 2019 in view of its improved performance and the Bank meeting the benchmark levels as per the PCA framework.
- Digital Processing of Mudra Loans under 'Rule based Processing' was introduced along with MSME loan delivery through PSB 59
- During the year, the Bank was recognized amongst the 500 valuable Banking Brands 2018 by Brand Finance, Best Performing Bank under Atal Pension Yojana by PFRDA, 2nd runner up Bank Demat A/Cs in PSB category by NSDL and 2nd runner up in IBA Technology Award.
- The Bank performed exceedingly well under various parameters of EASE Index of the PSB Reform Agenda of Govt. of India.

  In terms of the EASE Index Ranking of the PSB Reform Agenda of Govt. of India for March 2019, Bank occupied 1st position amongst mid-sized Public Sector Banks and 4th among 19 PSBs. Besides, the Bank was also awarded for its performance with respect to 'Responsible Banking & 'Udyami Mitra for MSMEs' under the EASE Parameters.
- The Govt. of India appreciated the Bank's Verticalized Organizational Structure and the Grievance Redressal System and recognized the Bank as a resource bank for other Public Sector Banks to follow.

CAPACITY BUILDING

The Bank has state of the art infrastructure for imparting training in its six HRDIs where the focus is on learning through case studies and presentations. Apart from same, the employees are sent for training to reputed management organizations like Institute for Development and Research in Banking Technology, Hyderabad, National Institute of Banking and Finance (NIBM), National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM), Southern India Banks' Staff Training College Bangalore (SIBSTC). During FY 2018-19, 79843 Training Man-days were completed in the Bank.

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कारोबार अवसर के रूप में देखता है और अपने ग्राहक आधार को विस्तृत एवं व्यापक करने के लिए इसका लाभ उठाता है। अगस्त, 2014 में प्रधान मंत्री जन-धन योजना की शुरुआत से बैंक ने ऐसे 48.83 लाख खाते खोले हैं जिनमें कुल रु. 4012.74 करोड़ की जमाराशियां हैं। बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 121327 खाते स्वीकृत किए हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु.2990.20 करोड़ की राशि संवितरित की है। बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 45.52 लाख नामांकन किए हैं।

भावी योजना

चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य ध्यान इष्टतम कारोबार मिश्र के माध्यम से अधिकतम लाभ पर होगा तथा कारोबार वृद्धि के लिए संचालकों के रूप में रिटेल/एमएसएमई पोर्टफोलियो पर निरंतर जोर दिया जाएगा। बैंक एनपीए खातों में वसूली की गति को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करने के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता की निगरानी भी करेगा ताकि इसमें आगे कोइ स्लीपेज न हो। बैंक को ऐसे खातों में समाधान की आशा है जिनमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान एनसीएलटी मामले दायर किए गए थे।

बैंक का रणनीतिक दृष्टिकोण आरएएम और मिड कॉरपोरेट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिटेल और एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बैंक होना और सार्वजनिक क्षेत्र का मध्यम आकार का एक आदर्श बैंक बनना है।

एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, परिचालन क्षमता में वृद्धि के साथ गुणात्मक विकास प्राप्त करने के लिए मुख्य संचालक होगा। सहस्राब्दी और नए युग के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ग्राहकों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों का लाभ उठाता रहेगा।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की 'निगरानी योग्य कार्ययोजना' के तहत प्रमुख मापदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क स्तरों से ऊपर बनाए रखने का प्रयास करेगा।

निष्कर्ष टिप्पणी

मैं इस अवसर पर बैंक के निदेशक मण्डल में कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विजय दुबे, श्री बालकृष्ण अल्से एस्. (कार्यकारी निदेशक) और श्री एस. एम. एन. स्वामी (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक) का स्वागत करता हूं।

मैं, अपना कार्यकाल पूरा करने पर श्री हिमांशु जोशी (कार्यकारी निदेशक), श्रीमती माला श्रीवास्तव (अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक) एवं श्री एस. गणेश कुमार (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक), द्वारा बैंक में दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करता हूं।

समस्त निदेशक मण्डल की ओर से और मेरी ओर से प्रबंधन और बैंक में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं बैंक के शेयरधारकों का आभार व्यक्त करता हूं व धन्यवाद देता हूं। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उनकी लगन व समर्पण तथा हमारे ग्राहकों को उनकी सतत निष्ठा व संरक्षण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके निरंतर मार्गदर्शन व सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार। मैं भविष्य में भी आपके निरंतर सहयोग एवं उत्साहवर्धन की अपेक्षा रखता हूं।

मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME

The Bank takes the Financial Inclusion programs as business opportunity and leverages this to increase and diversify its customer base. Since the launch of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojna in August 2014, the Bank has opened 48.83 lakhs such accounts which have aggregate deposits of Rs 4012.74 crore. Under Pradhan Mantri Mudra Yojna, the Bank has sanctioned 121327 accounts and has disbursed Rs. 2990.20 crore in FY 2018-19. The Bank has done 45.52 lakh enrolments in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna.

LOOKING FORWARD

During current FY 2019-20, the main focus shall be on Profit maximization through optimized business mix and continued emphasis on Retail / MSME portfolio as drivers for business growth. The Bank shall continue to make efforts towards maintaining the momentum of recovery in NPA accounts while simultaneously monitoring the asset quality to contain further slippages. The Bank is expecting resolutions in the accounts where NCLT cases were filed during last FY.

Bank's strategic vision is to be National Bank for Retail and MSME with focus on RAM & Mid Corporate segment and to become a model mid-sized PSB.

Adopting a customer centric approach would be the core driver for achieving qualitative growth with increased operational efficiency. The Bank shall continue to leverage Digital Banking Platforms to meet the requirements of millennial and new age customers and for enhancing overall customers' experience.

The Bank shall strive to maintain the key parameters above the benchmark levels stipulated by RBI under the 'Monitorable Action Plan' of RBI.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Sh Vijay Dube, Sh Balakrishna Alse S. (Executive Directors) and Sh S.M. N. Swamy (RBI Nominee Director) who joined the Board of the Bank.

I also appreciate the contribution of Sh Himanshu Joshi (Executive Director), Smt. Mala Srivastava (Part Time Non-Official Director) and S Ganesh Kumar (RBI Nominee Director) who laid down office, for their valuable contribution to the Bank.

On behalf of all the Board of Directors and on my own behalf, I convey my sincere gratitude and thanks to the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Management and Bank. I would like to use this occasion to thank every employee of OBC for their sincerity & dedication and our customers for their continuous loyalty and patronage. My sincere thanks and regards to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and encouragement in future also.

Mukesh Kumar Jain
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

श्री विजय दुबे
कार्यकारी निदेशक
Sh. Vijay Dube
Executive Director

श्री बालकृष्णा अल्से एस.
कार्यकारी निदेशक
Sh. Balakrishna Alse S.
Executive Director

श्री प्रशांत गोयल
Sh. Prashant Goyal

श्री एस. गणेश कुमार
(25.04.2019 तक)
Sh. S. Ganesh Kumar
(till 25.04.2019)

श्री एस. एम. एन. स्वामी
(26.04.2019 से)
Sh. S. M. N. Swamy
(from 26.04.2019)

श्री संजय कपूर
Sh. Sanjay Kapoor

श्रीमती माला श्रीवास्तव
(24.04.2019 तक)
Smt. Mala Srivastava
(till 24.04.2019)

श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrapal

श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma

श्री एम. एम. एल. वर्मा
Sh. M. M. L. Verma

शीर्ष प्रबंधन वर्ग / Top Management Team

श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. Ambrish Kumar Mishra
Chief Vigilance Officer

श्रीमती विद्यावती रुद्रा
Smt. Vidyavati Rudra

श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh

श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan

श्री अश्वनी कुमार
Sh. Ashwani Kumar

श्री कुलदीप भल्ला
Sh. Kuldeep Bhalla

श्री हरीश बांगा
Sh. Harish Banga

श्री स्वरुप साहा
Sh. Swarup Saha

श्री भंवर सिंह जैतावत
Sh. Bhanwar Singh Jaitawat

श्री बृज मोहन शर्मा
Sh. Brij Mohan Sharma

श्री आशुतोष चौधरी
Sh. Ashutosh Choudhury

श्री सुकेश गुप्ता
Sh. Sukesh Gupta

श्री रजनीश कर्नाटक
Sh. Rajneesh Karnatak

श्री सुरेन्द्र दीक्षित
Sh. Surendra Dixit

श्री बिनय गुप्ता
Sh. Binay Gupta

श्री महेश धवन
Sh. Mahesh Dhawan

श्री अमित श्रीवास्तव
Sh. Amit Srivastava

श्री राजेन्द्र साबू
Sh. Rajendra Saboo

श्री संजीवन नीखर
Sh. Sanjeevan Nikhar

श्री प्रमोद दुबे
Sh. Pramod Dubey

श्री दिनेश कुमार विश्नोई
Sh. Dinesh Kumar Vishnoi

श्री अशोक कुमार गुप्ता
Sh. Ashok Kumar Gupta

श्री सुनील कुमार चुघ
Sh. Sunil Kumar Chugh

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार 29 जून, 2019 को प्रातः 10:00 बजे **पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016** में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: ''31 मार्च, 2019 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार करने हेतु।''

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करने और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से ''अधिनियम'' बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से ''योजना'' कहा जाएगा), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 (अब से ''ओबीसी विनियम'' कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में यथापेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति के अध्यधीन तथा इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित किन्हीं नियमों, शर्तों तथा संशोधनों के अध्यधीन तथा जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 यथा संशोधित (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) तथा जो उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अध्यधीन हैं, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के निदेशक मंडल (अब से "मंडल" कहा जाएगा जिसमें मंडल द्वारा गठित कोई समिति सम्मिलित होगी) को बैंक के शेयधारकों की सहमति है तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि भारत या विदेश में ऑफर दस्तावेज/ विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी अन्य दस्तावेज द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन पर आरक्षण हेतु प्रावधान तथा/या निर्गम के उस भाग पर प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत्य व्यक्तियों की इस प्रकार की श्रेणी सहित) ₹3000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), की राशि के लिए निर्गमित कर सकता है जो अधिनियम की धारा 3(2क) के अनुसार अथवा संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा के अनुसार बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Saturday, 29th June 2019 at 10.00 a.m. at **PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016,** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act") the Banking Regulation Act, 1949, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/ Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") as amended SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares may be issued for an amount not exceeding ₹3000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the

के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम धारित न करती हो, भले वो बाजार मूल्य से बट्टे पर या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक भागों में हो, सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम या किसी अन्य पद्धति द्वारा योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ('क्यूआईपी') के माध्यम से जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, ईएसपीएस के माध्यम से बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंक की अन्य प्रतिभूति में विनियमों/दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा नियुक्त तथा/या नियुक्त किए जाने वाले किसी मर्चेंट बैंकर(रों) या अन्य परामर्शदाता(ओं) के परामर्श से, इस प्रकार से कि तथा इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार जैसा उपयुक्त समझा जाए, सेबी आईसीडीआर विनियमों के बिना सीमा के लागू कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति अनुसार।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), अधिकार निर्गम, अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यम द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/या हामीदारों तथा/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या जैसा मंडल द्वारा अपने विवेक से निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन मूल्य या मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा किसी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर का कोई भी निर्गम उस मूल्य पर होगा जो कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत दिए गए मूल्य सूत्र (क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य) के अनुरूप निर्धारित किए गए मूल्य से कम न हो, तथापि, बैंक लागू कानूनों के अनुरूप 5% (पांच प्रतिशत) या क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमत प्रतिशत तक छूट दे सकता है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) को अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयर निर्गमित किए जाने की स्थिति में लागू विधि के अध्यधीन, इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण की 'संगत तिथि' मण्डल की बैठक की तिथि होगी, जिसमें मण्डल इक्विटी शेयर के लिए क्यूआईपी खोलने का निर्णय लेता है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण की संगत तिथि, सेबी आईसीडीआर विनियम और अन्य लागू कानून या विनियम में यथानिर्दिष्ट तिथि होगी।''

Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, by way of a qualified institutions placement ('QIP') or by way of public issue, rights issue or any other method in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws including to one or more members, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") including Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ other securities of the Bank as may be permitted under applicable laws including without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to be appointed by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Qualified Institutions Placement, Private Placement or any other mode approved by GOI/RBI/SEBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT any issue of Equity Shares by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the 'QIP Floor Price'), however the Bank may in accordance with applicable laws, also offer discount of note more than 5% (five percent) or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price."

"RESOLVED FURTHER THAT subject to applicable law, in the event Equity Shares are issued to eligible QIBs by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the 'relevant date' for the purpose of pricing of the Equity Shares shall be the date of the meeting of the Board in which the Board decides to open the QIP of Equity Shares. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Follow on Public Offer (FPO)/Rights Issue will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or regulation."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of Equity Shares to be made by way of the QIP to the eligible QIBs, in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, shall be completed within 365 days from the date of the shareholders resolution or such other time as may be allowed to under SEBI ICDR Regulations from time to time."